झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या–वैट / संशोधन / 1 / 05– 3510 / राँची, दिनांक–31/12–07

प्रेषक,

श्री जे0 के0 दास,
अपर आयुक्त सह विशेष सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0)
सभी अंचल प्रभारी

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 3(x)(a) के अन्तर्गत एकीकृत निबंधन की अनुमति के लिए मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि एकीकृत निबंधन हेतु अनुमति संबंधित आवेदनों का निष्पादन मुख्यालय स्तर से किया जाता है, जिस पर आयुक्त की अनुमति अपेक्षित है। उक्त सुविधा उसी स्थिति में देय है, जब यह स्थापित हो जाए कि राजस्व हित में ऐसा करना आवश्यक है। उक्त मामलों में एकरूपता बरतने हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए निम्न मार्गदर्शन का पालन किया जाना आवश्यक है –

(क) एकीकृत निबंधन की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन को निम्नांकित स्थिति में ही स्वीकृत किया जा सकता है –

(i) यह सुविधा केवल वैसे व्यापारियों को ही दी जाए, जिनकी सभी व्यवसाय स्थलों को मिलाकर न्यूनतम स्वीकृत कर एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। न्यूनतम निर्धारित स्वीकृत कर की राशि में कमी आने पर उक्त सुविधा वापस ले ली जाएगी। यह शर्त अप्रवासी व्यवसायी (Non-Resident dealer) एवं ठेका संवेदक (Works Contractor) पर लागू नहीं होगी।

(ii) बिक्री के लिए मालों का क्रय/प्रेषण सिर्फ व्यवसायी के मुख्य व्यवसाय स्थल अर्थात मुख्यालय स्तर से ही किया जाता हो।

(iii) ब्रॉच अथवा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल स्वतंत्र रूप से मालों का क्रय/प्राप्ति नहीं करता हो।

(iv) ब्रॉच अथवा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल परिवहन व्यय सहित निर्धारित मूल्यों पर ही वस्तुओं की बिक्री करता हो। बाजार की स्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य में स्वतंत्र रूप से कमी–बेसी करने का अधिकार ब्रॉच अथवा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल को प्राप्त नहीं हो।

(v) ब्रॉच अथवा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल अपने द्वारा की गयी बिक्री से प्राप्त कुल राशि को सीधे मुख्यालय को भेजता हो।

(vi) स्थानीय खर्च के लिए ब्रॉच अथवा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल को अपने द्वारा प्राप्त कुल बिक्री राशि में से कोई राशि निकालने का अधिकार नहीं हो और स्थानीय खर्च इत्यादि के लिए राशि अलग से मुख्यालय द्वारा प्रेषित की जाती हो।

(vii) ब्रॉच अथवा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल में मालों की प्राप्ति एवं बेचे गये मालों का सम्यक ब्यौरा संधारित किया जाता हो तथा इसका दैनिक/मासिक विवरण/मुख्य व्यवसाय स्थल मुख्यालय को भेजा जाता हो।

(viii) ब्रॉच अथवा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल में अलग से आगत एवं निर्गत माल का सम्पूर्ण लेखा रखने की अनिवार्यता होगी, ताकि किसी समय स्थानीय पदाधिकारी उसका सत्यापन कर सके।

(ix) एकीकृत निबंधन की सुविधा हेतु समर्पित आवेदन पर विचार करने के पूर्व अतिरिक्त व्यवसाय स्थल से संबंधित अंचल प्रभारी का स्थानीय जांच पड़ताल प्रतिवेदन निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।

(x) एकीकृत निबंधन हेतु वैसे व्यवसायियों द्वारा प्राप्त आवेदन, जिनके विरूद्ध कर अपवंचन का कोई स्थापित मामला हो अथवा स्थानीय जांच पड़ताल प्रतिवेदन में किसी समुचित आधार पर अंचल प्रभारी द्वारा अन्यथा प्रतिवेदन हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) सामान्यतः प्रायोगिक तौर पर एकीकृत निबंधन की अनुमति एक ही वर्ष के लिए दी जायेगी। ऐसे व्यापरियों द्वारा कर भुगतान एवं अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित इनके आचरण की समीक्षा के बाद ही इस अनुमति का अवधि विस्तार तीन वर्ष के अन्तराल पर किया जा सकेगा।

2— उपर्युक्त स्वीकृति यथासम्भव वित्तीय वर्ष के प्रारंभ, अर्थात पहली अप्रैल, से ही प्रभावी करने की व्यवस्था की जाएगी।

3— व्यवसायी के मुख्य व्यवसाय स्थल से सम्बन्धित अंचल प्रभारी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उक्त व्यवसायी के सकल आवर्त्त, स्वीकृत कर तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से मुख्यालय को प्रेषित करना होगा।

4— जिन अंचलों के क्षेत्राधिकार में अतिरिक्त व्यवसाय स्थल कार्यरत है, वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी द्वारा इनका त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन/ व्यवसायिक कार्यकलाप प्रतिवेदन मुख्यालय को अवश्य प्रेषित किया जाए।

5— व्यवसायी के बिक्री एवं स्वीकृत कर में ऋणात्मक प्रवृति रहने पर एकीकृत निबंधन की सुविधा का अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा।

6— राजस्व हित में परिस्थिति विशेष में उपरोक्त शर्तों में से कुछ को आयुक्त वाणिज्य–कर को शिथिल करना, उनके स्वविवेक पर निर्भर करेगा।

7— यह आदेश 01.04.08 से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

अपर आयुक्त सह विशेष सचिव,
वाणिज्य -कर विभाग,
झारखण्ड, रांची।

कृष्णा/